**Government of Rajasthan**
**REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER**
**SUB-REGISTRAR : KISHANGARH**

## Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)    Print Date : 25-07-2018 5:31 PM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fee Receipt No | : 201802006006720 | Receipt Date | : 25/07/2018 |
| Name | : Alok Bakliwal Advocate, M/s Sundram Build Home Pvt. Ltd. through Dir. Bharat Agawral | Document S. No. | : 201801006007185 |
| Address | : Madanganj | | |
| Document Type | : Inspection And Search | | |
| Face Value | : ₹ 0 | Evaluated Value | : ₹ 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ord-Registration Fee | : ₹ 0 | Fee for Memorandum Us_64_67 | : ₹ |
| CSI | : ₹ 0 | Certified copying fees Us_57 | : ₹ 0 |
| Stamp (Memorandum) | : ₹ | Reg (memorandum) | : ₹ |
| Surcharge | : ₹ 0 | Stamp Duty | : ₹ 0 |
| Penalty | : ₹ 0 | Inspection fee | : ₹ 50 |
| Us_25_34 | : ₹ 0 | Commission | : ₹ 0 |
| Custody | : ₹ | Others | : ₹ 0 |
| | | Cash Amount Received | : ₹ 0 |
| From Year 2018 To Year 2018 | | Other than Cash | : ₹ 50 |
| | | Total Amount | : ₹ 50 |

**Mode of Payment (#Mode Number Amount #)**
# e-Registration Receipt RJ1425501807233 ₹ 50

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक
किशनगढ़ (अजमेर)

उप पंजीयक किशनगढ़
Sub Registrar, Kishangarh

ALOK BAKLIWAL
B.Com LL.B.,DLL
Advocate Raj. High Court

ASHISH BAKLIWAL
B. Com LL.B.
Advocate Raj. High Court

Residence
Jaincolony
Madanganj kishangarh
(Ajmer)
Ph.( R ) : 246795

Office
City Road
Opp. Agarwal Girls College
Madanganj kishangarh
Mobile : 94143 55287

**Panel Advocate :**

1. State Bank of Bikaner & Jaipur
2. National Insurance Company
3. Bank of India.
4. Syndicate Bank.
5. Allahabad Bank
6. Union Bank of India
7. Indian Overseas Bank
8. Bank of Baroda

Date 26/7/2018

## TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

It is to certify that a record available with sub Registrar **Kishangarh**, Distt. Ajmer Book No. 1 from **25.07.2018** search by me and found that a **Residential converted land Measuring 6612.17 Sq. Yards situated at Khasra No. 542/5, Madanganj, Tehsil Kishangarh, Dist. Ajmer (Raj.)** The aforesaid property belongs to **M/S SUNDRARAM BUILDHOME PVT. LTD. REGISTERED OFFICE SUBHASH COLONY, MADANGANJ-KISHANGARH, DIST. AJMER THORUGH ITS DIRECTOR SHRI BHARAT AGARWAL, CASTE AGARWAL RESIDENT OF BHAT MOHALLA, MADANGANJ-KISHANGARH, DIST. AJMER.** The Title Deed of the said Property has not been transferred by any way so far by the borrower **M/S SUNDRARAM BUILDHOME PVT. LTD. REGISTERED OFFICE SUBHASH COLONY, MADANGANJ-KISHANGARH, DIST. AJMER THORUGH ITS DIRECTOR SHRI BHARAT AGARWAL, CASTE AGARWAL RESIDENT OF BHAT MOHALLA, MADANGANJ-KISHANGARH, DIST. AJMER.** The Lease deed of Patta vilekh has been executed by **Executive officer and Chairman of Nagar Palika Kishangarh (Land Conversion)** in favour of **M/S SUNDRARAM BUILDHOME PVT. LTD. REGISTERED OFFICE SUBHASH COLONY, MADANGANJ-KISHANGARH, DIST. AJMER THORUGH ITS DIRECTOR SHRI BHARAT AGARWAL, CASTE AGARWAL RESIDENT OF BHAT MOHALLA, MADANGANJ-KISHANGARH, DIST. AJMER** in respect of **Residential converted land Measuring 6612.17 Sq. Yards situated at Khasra No. 542/5, Madanganj, Tehsil Kishangarh, Dist. Ajmer (Raj.)** on Dated 23.05.2018. This

Alok Bakliwal
Advocate

Patta vilekh has been registered in the office of Sub Registrar Kishangarh on Dated of 20.07.2018 in Book No. 1 Volume No. 821 at Serial No. 201803006104023 on page 38 and affixed in additional file book 1, Volume No. 2562 on page 419 to 428, caption property is free from all sorts and encumbrance, charges, liabilities of any kind whatsoever and title of owner to the said property is clear, free marketable and chain of the title is complete. The title deed(s) to the property in question are original and not duplicate of fake. Hence said Residential land measuring **6612.17 Sq. Yards** **situated at Khasra No. 542/5, Madanganj, Tehsil Kishangarh, Dist. Ajmer (Raj.) belongs to M/S SUNDRARAM BUILDHOME PVT. LTD. REGISTERED OFFICE SUBHASH COLONY, MADANGANJ-KISHANGARH, DIST. AJMER THORUGH ITS DIRECTOR SHRI BHARAT AGARWAL, CASTE AGARWAL RESIDENT OF BHAT MOHALLA, MADANGANJ-KISHANGARH, DIST. AJMER** Remained non encumbered in the above period.

**Enclosure :**

1. Certified copy of leased deed of Patta vilekh
2. In this connection An Affidavit submitted by **SHRI BHARAT AGARWAL, CASTE AGARWAL RESIDENT OF BHAT MOHALLA, MADANGANJ-KISHANGARH, DIST. AJMER** on dated 25.07.2018.
3. Search Receipt dated 25.07.2018.

Kishangarh

Dated: 26/7/2018

(ALOK BAKLIWAL)

Alok Bakliwal

Advocate

City Road Madanganj

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

19 DEC 2017

| राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अंतर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार | |
|---|---|
| 1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) -10% | 50 |
| 2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) -10% | 50 |
| हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता | |

F 676460

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर)

(राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख।

यह विलेख जो आज दिनांक ..................को आंवटन/विक्रय पत्र संख्या ....513......... दिनांक 23-5-18... को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात सरकार कह कर सम्बोन्धित किया गया है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत मै. सुन्दरम बिल्डहोम प्राईवेट लि. रजिस्टर्ड कार्यालय सुभाष कॉलोनी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर जर्ये निदेशक श्री भरत अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी– भाट मोहल्ला मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान (जिनको इसमें इसके बाद लीज धारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इसी इबादत में जहां कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

इस विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीज धारक द्वारा लीज राशि 6,50,648, अक्षरे छः लाख पचास हजार छः सो अडतालीस रूपये मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो

(सीताराम साहू)
सभापति
नगर परिषद किशनगढ़।

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़।

पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है। (और जिनकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तो और करारों जो लीज धारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का यह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर सम्बोधित किया गया है।) प्रदान और लीज करती है जो योजना ......... राजस्व ग्राम– **मदनगंज** के खसरा संख्या **542/5** मे **भूखण्ड संख्या– -- कुल क्षैत्रफल 6612.27** वर्गगज में स्थित है जो अपनी सीमाओं और क्षैत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शें में लाल रंग से दिखाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों वैध शर्तो और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभाग, और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा अर्थात

1. लीज धारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये एक मुश्त 99 वर्ष की जमा लीज धारक द्वारा एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष जिसमें राशि जमा करायी जाती है को सम्मिलित करते हुये पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीज धारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय से दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक वार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्वि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का पच्चीस प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधिः– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिये होगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल मुख्य मंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 03 ए अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोजन जिसके लिये नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त की जाकर किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख के जारी होने की तारीख से 07 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम 26 के अन्तर्गत बढा दी जावे, लीज धारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया।
6. लीज धारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप उपपट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है। या अन्तरित किया गया है लीज धारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वंय द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कलावधि से अधिक नही होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनो और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निर्मित विनिर्दिष्ट मामलों मे जारी किये जाये,शासित होंगे।

(सीताराम साहू)
सभापति
नगर परिषद किशनगढ़।

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिती के पक्ष मे नाम के अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ–साथ रजिस्टीकृत विकय प्रलेख ,दान विलेख,वसीयत अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ–साथ दस रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय जारी आदेशों के अनुसार निर्धारित दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जावेगी। परन्तु लीज धारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाहय विकास प्रभारों का कोई भी बकाया भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आंवटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निवंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नही होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिये बंधक रखा जा सकेगा।

**परिशिष्ट**

कस्बे का नाम –किशनगढ़
राजस्व ग्राम मदनगंज

पूर्व ..............................................
पश्चिम ..............................संलग्न साईड प्लान अनुसार
उत्तर ..........................................
दक्षिण ..................................

खसरा नम्बर– **542/5**
योजना का नाम
विस्तृत माप सहित भूखण्ड़ संख्या—-- कुल क्षैत्रफल = **6612.27** वर्गगज
इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिशित स्थानों और तारीखों पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये है।
नगर निकाय की ओर से
आज सन 2018 के माह................ के दिन
श्री सीताराम साहू ने निम्न की उपस्थिति में
(स्थान) में हस्ताक्षर किये

(सीताराम साहू)
सभापति
नगर परिषद किशनगढ़।

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़।

साक्षी :–

1. नाम ..................................................................
पति/पिता का नाम .....................................
व्यवसाय ..........................................................
निवास स्थान ................................................ ..............................

साक्षी

2. नाम ..................................................................
पति/पिता का नाम .....................................
व्यवसाय ..........................................................
निवास स्थान ................................................ ..............................

साक्षी

आज .................. सन् 20.......... के माह ................
के .......... वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
....................................................................................... ........................
लीज धारक द्वारा कार्यालय ........................ में हस्ताक्षर किये गये। लीजधारक–द्वितीय पक्ष

साक्षी :–

1. नाम ..................................................................
पति/पिता का नाम .....................................
व्यवसाय ..........................................................
निवास स्थान ................................................ ..............................

साक्षी

2. नाम ..................................................................
पति/पिता का नाम .....................................
व्यवसाय ..........................................................
निवास स्थान ................................................ ..............................

साक्षी

(सीताराम साहू)
सभापति
नगर परिषद किशनगढ़।

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़।

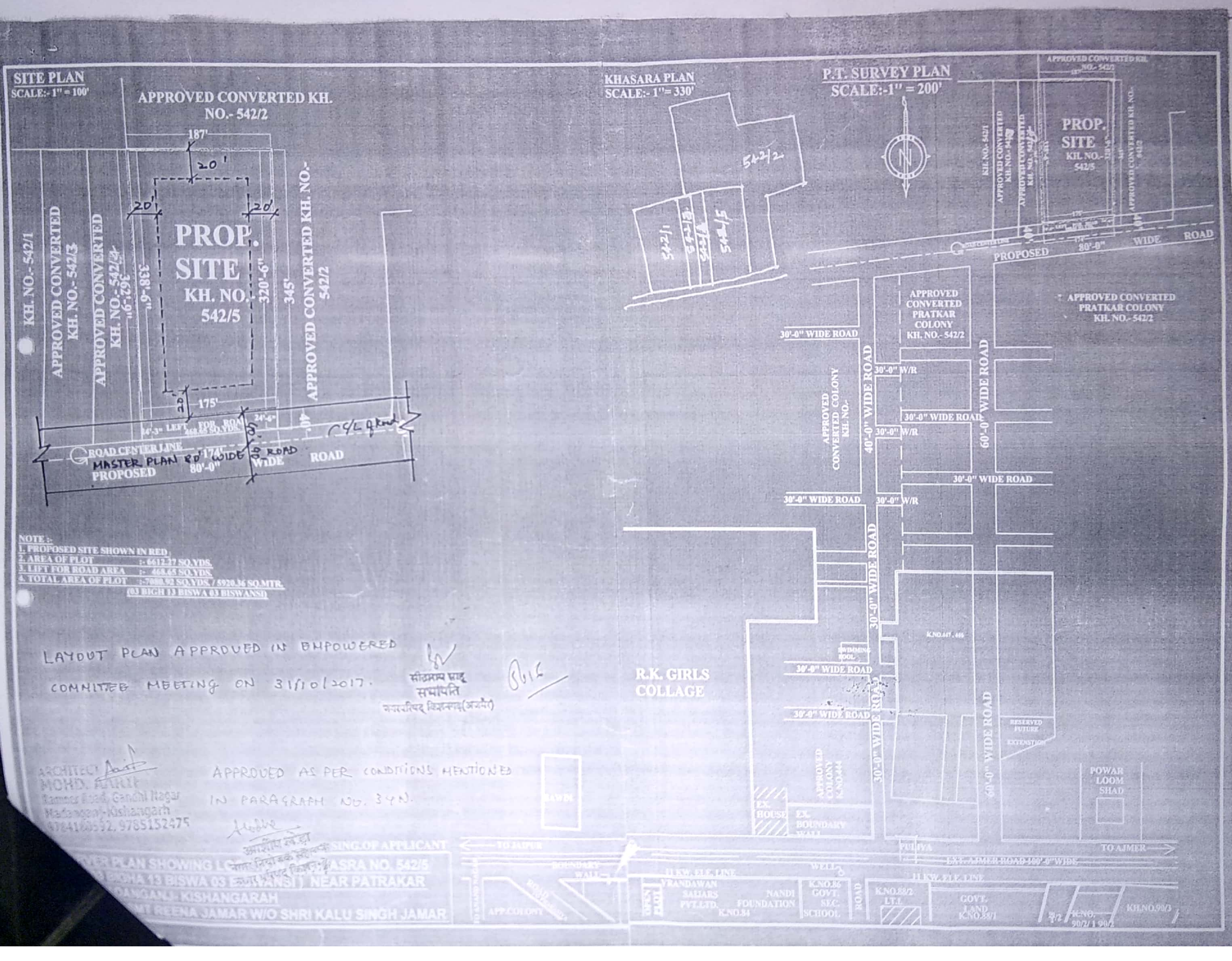

SITE PLAN
SCALE:- 1" = 100'
APPROVED CONVERTED KH. NO.- 542/2
187'
20'
PROP. SITE
KH. NO. 542/5
338'-6"
320'-6"
345'
362'-6"
175'
KH. NO.- 542/1
APPROVED CONVERTED KH. NO.- 542/3
APPROVED CONVERTED KH. NO.- 542/2
ROAD CENTER LINE
MASTER PLAN RD WIDE
PROPOSED 80'-0" WIDE ROAD
NOTE :-
1. PROPOSED SITE SHOWN IN RED
2. AREA OF PLOT :- 6612.27 SQ.YDS.
3. LEFT FOR ROAD AREA :- 468.65 SQ.YDS.
4. TOTAL AREA OF PLOT :- 7080.92 SQ.YDS. / 5920.36 SQ.MTR.
(03 BIGH 13 BISWA 03 BISWANSI)
LAYOUT PLAN APPROVED IN EMPOWERED COMMITTEE MEETING ON 31/10/2017.
सचिव
सभापति
नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर)
APPROVED AS PER CONDITIONS MENTIONED IN PARAGRAPH NO. 34N.
ARCHITECT
MOHD. AMIR
Ramsar Road, Gandhi Nagar
Madanganj-Kishangarh
9784160992, 9785152475
SING. OF APPLICANT
KHASRA NO. 542/5
BIGHA 13 BISWA 03 BISWANSI) NEAR PATRAKAR
MADANGANJ- KISHANGARH
SMT REENA JAMAR W/O SHRI KALU SINGH JAMAR
KHASARA PLAN
SCALE:- 1"= 330'
542/2
542/1
542/5
P.T. SURVEY PLAN
SCALE:-1" = 200'
APPROVED CONVERTED KH. NO.- 542/2
PROP. SITE
KH. NO.- 542/5
KH. NO.- 542/1
PROPOSED 80'-0" WIDE ROAD
APPROVED CONVERTED PRATKAR COLONY KH. NO.- 542/2
APPROVED CONVERTED PRATKAR COLONY KH. NO.- 542/2
30'-0" WIDE ROAD
40'-0" WIDE ROAD
60'-0" WIDE ROAD
30'-0" W/R
APPROVED CONVERTED COLONY
R.K. GIRLS COLLAGE
SWIMMING POOL
RESERVED FUTURE EXTENSION
POWAR LOOM SHAD
EX. HOUSE
EX. BOUNDARY WALL
TO JAIPUR
TO AJMER
EXT. AJMER ROAD 100'-0" WIDE
11 KW. ELE. LINE
VRANDAWAN SAIJARS PVT.LTD. K.NO.84
NANDI FOUNDATION
K.NO.86 GOVT. SEC. SCHOOL
K.NO.88/2
GOVT. LAND K.NO.88/1
KH.NO.90/3
APP.COLONY